

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,

P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbccijharkhand@gmail.com

पत्रांक:- म.नि.नि. 12/2021-1065 (न)

राँची/दिनांक:- 25/4/22

प्रेषक,

कार्यपालक निदेशक,
झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड,
राँची।

सेवा में,

M/s Ganesh Pandey,
Kathar Kotcha, New Birsa Chowk,
Ranchi.

विषय:-

Construction of 03 Units Girls Hostel at Rajmahal Block, Barharwa Block & Udhwa Block of Sahebganj District के निर्माण कार्य के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है कि:-

1. Construction of 03 Units Girls Hostel at Rajmahal Block, Barharwa Block & Udhwa Block of Sahebganj District के निर्माण कार्य को एकरारनामें के अनुसार कार्य दिनांक- 16.08.2020 को पूर्ण किया जाना था। परंतु अभी तक Girls Hostel at Rajmahal Block का निर्माण कार्य 60%, Barharwa Block का निर्माण कार्य 85% एवं Udhwa Block का निर्माण कार्य 75% ही पूर्ण किया गया है। प्रबंधक-सह- कार्यपालक अभियंता, पी0आई0यू0, साहेबगंज के द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से निर्माण कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया जाता रहा है।
2. Standard Bidding Document के Condition of Contract की कंडिका- 27.3 के अनुसार "The Contractor shall submit to the Engineer, for approval, an updated programme at intervals no longer than the period stated in the Contract data." परंतु आपके द्वारा आपको आवंटित कार्य के कार्यान्वयन के दौरान वर्क प्रोग्राम समर्पित नहीं किया गया है।
3. Standard Bidding Document के Instruction to Bidder के कंडिका- 4.8 के अनुसार "Record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the contract, inordinate delays in completion, litigation history, or financial failures etc.; and could not furnish rational justification to the employer." आपके द्वारा आपको आवंटित कार्य के कार्यान्वयन के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के कई दिनों तक निर्माण कार्य बन्द रखा गया।

PTO

4. भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड के संवेदक निबंधन नियमावली की कंडिका- 11.1.4 के अनुसार बिना ठोस कारण के निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण करने पर संवेदक को निलंबित किया जा सकेगा।

वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित योजना के निर्माण कार्य को पूर्ण करने में आपके द्वारा किए गये विलम्ब के कारण Standard Bidding Document के Instruction to Bidder के कंडिका- 4.8 तथा संवेदक निबंधन नियमावली की कंडिका- 11.1.4 के अन्तर्गत आपको भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से कार्य पूर्ण होने तक वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन,



कार्यपालक निदेशक
झा0रा0भ0नि0नि0लि0, राँची

ज्ञापांक:- 1065 (नि)

राँची/दिनांक:- 25/4/22

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक/नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्योरमेंट सेल/प्रबंधक, पी0आई0यू0, साहेबगंज
झा0रा0भ0नि0नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



कार्यपालक निदेशक
झा0रा0भ0नि0नि0लि0, राँची

ज्ञापांक:- 1065 (नि)

राँची/दिनांक:- 25/4/22

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



कार्यपालक निदेशक
झा0रा0भ0नि0नि0लि0, राँची

ज्ञापांक:- 1065 (नि)

राँची/दिनांक:- 25/4/22

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के वरीय प्रधान आप्त सचिव, झा0रा0भ0नि0नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



कार्यपालक निदेशक
झा0रा0भ0नि0नि0लि0, राँची